न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2023/515
मुकदमा नम्बर 123/2023 दर्ज दिनांक–21.12.2023

हरिराम पुत्र रघुनाथ जाति कुमावत निवासी वार्ड नं. 11, परसरामपुरा, तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री सज्जन कुमार चाहर
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 26.03.2024

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम परसरामपुरा में स्थित भूमि खाता सं. 520 पुराना 12 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1470,1473,1475,1475,1894,1897 तथा इसी ग्राम में स्थित भूमि खाता सं.नया 529 पुराना 11 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1891,भूमि खाता सं. नया 116 पुराना 103 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1465,1446,1896 के राजस्व रिकार्ड मे आवेदक व उसके पिता का नाम हीराराम पुत्र रूघनाथ दर्ज है, जो गलत है। जबकि प्रार्थी व उसके पिता का सही नाम हरिराम पुत्र रघुनाथ है। अतः राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी व उसके पिता का सही नाम हरिराम पुत्र रघुनाथ दर्ज कर शुद्व किया जावे।

प्रा0 पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक तहसीलदार नवलगढ की ओर से पैरो. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट क्रमांक भू.अ. 310 दिनांक 05/02/2024 पेश की जिसके अनुसार प्रार्थी व उसके पिता का सही नाम हरिराम पुत्र रघुनाथ होना बताया गया।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा ग्राम परसरामपुरा में स्थित भूमि खाता सं. 520 पुराना 12 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1470,1473,1475,1475,1894,1897 तथा इसी ग्राम में स्थित भूमि खाता सं.नया 529 पुराना 11 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1891,भूमि खाता सं. नया 116 पुराना 103 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1465,1446,1896 के राजस्व रिकार्ड मे आवेदक व उसके पिता का नाम हीराराम पुत्र रूघनाथ, जो गलत है के स्थान पर सही नाम हरिराम पुत्र रघुनाथ शुद्व कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। पृथक से तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 26.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner